

हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन सह स्वीकृति पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. (एक) वर्तमान पता : मोबाईल नं.
(दो) स्थाई पता :

एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाएँ व दो फोटो संलग्न करें।

4. जाति : अ.जा./अ.व.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (जो लागू न हो उसे काट दें)
5. आयु (वर्षों में) : 6. जन्म तिथि : 7. शैक्षणिक योग्यता :
- (आयु का संलग्न किया गया स्कूल का प्रमाण-पत्र/जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र/बि.कित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र)
8. वैवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित/विधुर/विधवा (जो लागू न हो उसे काट दें)
9. उन नियोजकों के नाम तथा पते जिनके लिए पिछले 12 माह में कार्य किया (वर्तमान नियोजक सहित)

क्र. सं.	कार्य स्थल का विवरण	क्या का किया	कितने दिन काम किया (कार्य अवधि)	नियोजक का नाम पता	वर्तमान नियोजक के हस्ताक्षर तथा टेली. नं.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10. परिवार का विवरण

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आयु	शिक्षा का स्तर	यदि पढ़ रहा है तो कक्षा व स्कूल का नाम व पता
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

11. आवेदक का ईएसआई/ईपीएफ क्रमांक (यदि कोई हो)

11A. क्या BPL/State BPL श्रेणी में शामिल है? हाँ/नहीं (✓) करें यदि हाँ, तो BPL क्रमांक

घोषणा

12. मैं माल्यनिष्ठा/ईश्वर की शपथ लेकर बचन देता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि मण्डल को वापिस देने का बचन देता हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र

13. प्रमाणित किया जाता है कि पुर/पुत्री/पत्नी निवासी निर्माण कामगार के रूप में नियोजक (नाम व पता) के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में दिनों तक कार्य करता रहा है/रही है तथा वह निर्माण कर्मकार है।

स्थान :

दिनांक :

*नियोजक/ठेकेदार के हस्ताक्षर तथा नाम पता व टेलीफोन नं.

निर्माण श्रमिकों की युनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर व युनियन का नाम पता व पंजीयन सं.

पंचायत के कार्यकारी अधिकारी/क्षेत्र के ग्राम निरीक्षक के हस्ताक्षर नाम व पता

पंजीयन आदेश

* (उपरोक्त में से जो लागू नहीं हो उन्हें काट दें)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में बर्णित जानकारी की जाँच उपरान्त सन्तुष्ट होने पर पंजीयन की स्वीकृति दी जाती है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर व निरीक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी नाम निरीक्षक/प्राधिकृत अधिकारी (क.प.उ.।)

(नियम 44(4) के अन्तर्गत नाम निर्देशन) (प्ररूप-छः)

मैं, अपनी मृत्यु की वृत्ता में मण्डल की ओर से मुझे देय सम्पत्त सम्बन्ध प्राप्त करने के लिए निम्न लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे अधिकारवान वारिस के रूप में नाम निर्देशित करता/करती हूँ :-

क्रम संख्या	नामिति/नामितियों का नाम व पता	हिताधिकारी से सम्बन्ध	आयु	नामिति को दी जाने वाली राशि का प्रतिशत

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. आवेदक के कॉलम एक व दो में क्रमशः आवेदक तथा उसके पिता या पति का पूरा नाम अंकित किया जाना है।
2. कॉलम तीन (एक) में आवेदक का वह पता अंकित किया जाना है जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा है। पता पूर्ण लिखा जावे। इसी प्रकार कॉलम तीन (दो) में आवेदक के स्थायी निवास का पूर्ण पता अंकित किया जाना है।
3. कॉलम चार में आवेदक अजा/अजजा आदि जिस वर्ग का हो, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों को काट दिया जाना है, जिससे आवेदक का वर्ग स्पष्ट हो सके।
4. कॉलम पाँच में आवेदन की तिथि पर आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्म तिथि वर्ष, माह, दिन में अंकित की जानी है। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सहाय चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
5. कॉलम संख्या सात में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण का हो) अंकित की जानी है।
6. कॉलम संख्या आठ में आवेदक की वैवाहिक स्थिति में जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाना है।
7. कॉलम संख्या नौ में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा है, उसके सहित पिछले 12 माह में किए गये निर्माण कार्यों के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना है। वर्तमान नियोजक का नाम पता तथा दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे, जिससे आवश्यक होने पर पुष्टि की जा सके।
8. कॉलम दस में आवेदक के परिवार का विवरण अंकित किया जाना है। यदि आवेदक के परिवार के सदस्य स्कूल में पढ़ रहे हो तो, उनके कक्षा व स्कूल का नाम व पता स्पष्ट अंकित किया जावे।
9. यदि आवेदक ईएसआई तथा ईपीएफ से जुड़ा हुआ हो, तो उसके क्रमांक कॉलम ग्यारह में अंकित किये जाने हैं।
10. कॉलम बारह में आवेदक द्वारा दिये गये विवरण की सत्यता की घोषणा की जानी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित हो।
11. कॉलम तेरह में आवेदक के निर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र है, जिसे विवरण अंकित कर कर्मकार के नियोजक/डेकेदार द्वारा अथवा निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा अथवा संबंधित पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा अथवा क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा (उपरोक्त चारों में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। यह प्रमाण पत्र आवेदक के पंजीयन हेतु आवश्यक है।
12. उपरोक्त वर्णित प्ररूप-छः में आवेदक द्वारा नामित/नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित किया जाना है।

विशेष: पूर्ण रूप से भरे आवेदन के साथ आयु का प्रमाण पत्र तथा निर्माण कर्मकार होने के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त तीन पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी है तथा दो फोटो संलग्न की जानी है) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क 25 रुपये मात्र भी जमा कराना होगा।